

तारीख हुक्म

13⁸/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
मूलवाद खारिज हो चुका है। जिससे उक्त
T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं
रह जाता है जिससे उक्त T.I. प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल
शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली